



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19658

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A सं. - 1096/2026

ध्यानचंद.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:राम सूरत पटेल, संतोष कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम सूरत पटेल और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने रिट याचिका की ग्राह्यता के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है, जिसका आधार यह है कि इस मामले में इस न्यायालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता है; विशेष रूप से तब, जब रिट याचिकाकर्ता लखनऊ में तैनात है और वह बलरामपुर, बस्ती या सिद्धार्थनगर जिले में स्थानांतरण की मांग कर रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस विधिक स्थिति का खंडन नहीं कर सके।
4. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता उस विधि न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रस्तुत कर सकता है, जिसके पास इस मामले का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार हो।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

आशु

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”